संख्याः — /XII(1)/14– 96(06)/2015

Abul Pakir Jainalubdin Abdul Kalam.

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून दिनाँकः 10 सितम्बर, 2015

विषयः 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वर्ष 2015–16 हेतु ग्राम पंचायतों को संक्रमित की गयी/संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 1513/xii (1)/2015–96(06)/2015, दि॰ 03.09.2015 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य को प्राप्त होने वाली धनराशि, राज्य वित्त आयोग व अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि से दीर्घकालिक योजना बनाकर ही धनराशि व्यय की जाये। इस निमित पंचायतों द्वारा तैयार की गयी योजना "डा0 ए0पी0जे0 **अबुल कलाम ग्राम बदलाव योजना**" के नाम से क्रियान्वित की जाये। इस योजना मे अन्य विभागों की योजनाओं से प्राप्त बजट का अभिसरण करके प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि का सदुपयोग किया जाये। "डा0ए0पी0जे0 अबुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" हेतु नोडल विभाग पंचायतीराज विभाग होगा। योजना निर्माण में निम्नवत् प्रक्रिया अपनायी जाये।

1. ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठकें आयोजित कर अगले पॉच वर्षों अर्थात् वर्ष 2015–20 तक प्राप्त समस्त धनराशि "डा0 ए0पी0जे0 अबुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" के ड्राफ्ट के अनुसार ही व्यय की जायेगी। यह ड्राफ्ट उस ग्राम की "डा0 ए0पी0जे0 अबुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" कहलायेगी। इस योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण किया जायेगा।
2. ग्राम पंचायतें अपनी खुली बैठक में दीर्घकालिक योजना में निम्नलिखित गतिविधियों को अपने ड्राफ्ट में विचारार्थ रखेंगीः–

   (i) ग्राम में आय सृजन हेतु स्थायी प्रकृति की परिसम्पतियों का निर्माण।

   (ii) जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टैज प्रबंधन स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव, सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीटलाइट तथा कब्रिस्तानों एवं शमशान घाटों का रखरखाव।

   (iii) राज्य सरकार/मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजनाएँ।

   मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 1513/X11(1)2015-96(06)2015, दिनांक 03 सितम्बर, 2015 के अनुसार 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार/मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर शासन से प्राप्त मार्ग–निर्देशन उपरान्त व्यय की जायेगी।

   (iv) पंचायत राज अधिनियम में वर्णित कार्य आदि।
3. वर्ष 2015–16 में प्राप्त केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि को तब तक व्यय न किया जाय, जब तक "डा0 ए0पी0जे0 अबुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" का भाग न बन जाय। अर्थात् बिना ड्रॉफ्ट प्लान बनाये धनराशि का व्यय न किया जाय। अन्यथा धनराशि का दुरूपयोग माना जायेगा।

4. जिन ग्राम पंचायतों में सांसद आदर्श ग्राम योजना तथा मनरेगा के अन्तर्गत आई.पी.पी.ई. आदि भावी योजना (प्रस्पेक्टिव प्लान) पृथक से बनायी गयी हो, ऐसे प्लान को डा0 ए0पी0जे0 अबुल कलाम ग्राम बदलाव योजना में सम्मिलित करते हुए युगपतिकरण (डवटेलिंग) कर लिया जाय।
5. "डा0 ए0पी0जे0 अबुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" के ड्राफ्ट, वार्षिक एवं पचवर्षीय, को इस निमित बनाये गये सॉफ्टवेयर "प्लानप्लस" पर अपलोड किया जाये।
6. मुख्य विकास अधिकारियों से अपेक्षित है कि प्रत्येक विकासखण्ड में डा0 ए0पी0जे0 अबुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के ड्राफ्ट तैयार कराने हेतु विकासखण्ड के लिए एक राजपत्रित अधिकारी को उत्तरदायी बनाये तथा यह सुनिश्चित करें कि 15 अक्टूबर, 2015 तक शत प्रतिशत ग्राम पंचायतों की योजनाओं के एक–एक संकलित ड्राफ्ट शासन, निदेशक पंचायतीराज एवं सम्बन्धित मण्डल के मण्डल आयुक्त एवं जिलाधिकारी को उपलब्ध कराये जाये।
7. प्रत्येक विकासखण्ड हेतु नामित राजपत्रित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विकासखण्ड स्तर पर तैनात कम से कम एक अधिकारी प्रत्येक ग्राम सभा की खुली बैठकों में अनिवार्य रुप से उपस्थित रहेंगे, जो उस ग्राम पंचायत के प्लान हेंतु उत्तरदायी बने रहेंगे। विकासखण्ड के लिए तैनात राजपत्रित अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी स्वयं भी कम से कम 15–15 ग्राम सभा की बैठकों में प्रतिभाग करेंगे।
8. ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सभा की खुली बैठकों का आयोजन करने, बैठक में प्रतिभाग करने वाले सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज करने तथा बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करने हेतु उत्तरदायी होंगे।
9. मुख्य विकास अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे भी स्वयं कम से कम 10 ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में भाग लेकर उक्त योजना का ड्राफ्ट तैयार करायेंगे तथा कतिपय ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में जिलाधिकारियों को भी आमंत्रित करें।
10. योजना के ड्राफ्ट प्लान तैयार कराये जाने हेतु 14वें वित्त आयोग की संक्रमित धनराशि से सम्बन्धित ग्राम पंचायत की आकस्मिक(कन्टिनजेन्सी) व्यय से रुपया 5000.00 की सीमा तक ग्राम सभी की खुली बैठकों में औपचारिक प्रस्ताव पारित कराकर उपयोग में लायी जा सकेगी तथा उपयोग की गयी धनराशि के समस्त व्यय बाउचर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों में नियमानुसार इन्द्राज कर सुरक्षित रखे जायेंगे।
11. मुख्य विकास अधिकारी योजना का संचालन इस प्रकार करें कि विभिन्न ग्राम पंचायतों के ड्रॉफ्ट प्लान में समरूपता हो तथा यथासम्भव लगभग 10 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर/समूह अथवा न्याय पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायता समूह, जिसमें अध्यापक, एएनएम/वीएचडब्ल्यू, ऑगनबाड़ी कार्यकत्री, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, वन रक्षक, पटवारी, सींचपाल, अवर अभियन्ता आदि सम्मिलित हों, के द्वारा खुली बैठक में तैयार हुए ड्रॉफ्ट प्लान को अंतिम स्वरूप प्रदान करने में सहयोग किया जायेगा। प्लान का मूल मसौदा ग्राम सभा की खुली बैठक के अनुरूप ही रहेगा।

    समूह में स्थानीय उपलब्ध अनुभवी एवं योग्य मानव संसाधन यथा ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत समितियों के सदस्य, ग्राम नियोजन का अनुभव रखने वाले विषय विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय आधारित संगठन, सेवानिवृत्त कार्मिक, कृषक समूह, युवा समूह, महिला समूह, स्वयं सहायता समूह, युवक–महिला मंगल दल, मनरेगा जॉब कार्डधारक, एन0आर0एल0एम0 लाभार्थी समूह, शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी अपने विवेकानुसार निर्णय ले सकते हैं।

12. "डा0ए0पी0जे0 अबुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन कर इस कार्य की साप्ताहिक समीक्षा की जाय, जब तक कि समस्त ग्राम पंचायतों की योजना तैयार नहीं हो जाती।

13. विकासखण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में "ब्लाक क्रियान्वयन एव समन्वय समिति" का गठन किया जाये, जिसमे सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) समन्वयक के रूप में नामित किये जायें तथा ग्राम नियोजन से सम्बन्धित ब्लाक स्तरीय अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे।

14. ड्रॉफ्ट प्लान तैयार करने हेतु सर्वप्रथम विकास खण्डों में तैनात राजपत्रित अधिकारियो की एक बैठक जिला मुख्यालय में आयोजित करके समस्त अधिकारियो को ड्रॉफ्ट प्लान तैयार कराये जाने हेतु ब्रीफिंग की जाय, जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा निदेशक, पंचायतीराज द्वारा नामित अधिकारी भी कार्य के उद्देश्य एवं अन्य विषयवस्तु पर जानकारी देंगे।

अतः उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1625 / XII(1)/14–96(06)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा. पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ।
6. निदेशक पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(हरबंस सिंह चुघ)
अपर सचिव।